ई– निविदा प्रपत्र

गुलिस्ताँ वाहन पार्किंग ठेका बर्ष 2024–2025

सेवा में,

प्रबन्धक
गुलिस्ताँ टूरिस्ट कम्पलैक्स
उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
फतेहपुर सीकरी,
आगरा।

फोटो

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र ....में दिनांक ....को प्रकाशित गुलिस्ताँ टूरिस्ट कम्पलैक्स वाहन पार्किंग को लाइसेन्स के आधार पर दिये जाने हेतु निविदा के नियम एंव शर्तो के अनुसार मैं निम्न प्रपत्रो की छाया प्रतियॉ संलग्न कर कार्यालय में जमा कर रहा हूँ तथा स्कैन कापी ई–निविदा के साथ अपलोड की गयी है।

1. यू.पी.एस.टी.डी.सी. लि. के पक्ष में फतेहपुर सीकरी पर देय रुपये 10,00,000.00 (दस लाख) का बैंक ड्राफट मूल रुप में।
2. यू.पी.एस.टी.डी.सी. लि. के पक्ष में फतेहपुर सीकरी पर देय रुपये 2500.00 दो हजार पांच सौ + 18% GST का बैंक ड्राफट मूल रुप में।
3. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
4. जिलाअधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र।
5. हैसियत प्रमाण–पत्र रु0 50,00,000.00 (पचास लाख)
6. स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो।
7. पैन कार्ड (स्वयं एंव फर्म का)।
8. गत तीन बर्ष का आयकर रिर्टन।
9. आधार कार्ड।
10. जी0एस0टी0नं0 प्रमाण पत्र।
11. सोल अथवा प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म अथवा एल0 एल0 पी, निवदादाताओं। कम्पनी वाली निवदादाताओं के संवंध में नियम शर्तो में उल्घखित समस्त प्रपत्र अपलोड एवं संलग्न कर दिये गये है।
12. पार्किंग संचालन का अनुभाव पत्र।
13. फर्म/निविदादाता का नाम, किसी भी विभाग द्वारा वर्ज्य/काली सूची में दर्ज न किये जाने एंव निविदा में अपलोड किये गये सभी प्रपत्र सही होने का शपथ पत्र।

मेरे द्वारा संलग्न समस्त नियम व शर्तो को, कम संख्या 01 से 58 तक पढ लिया है, सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ ई–निविदा डाल रहा हूँ तथा मुझे उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की समस्त नियम व शर्ते मान्य है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता का पूरा नाम–
स्थायी पता–

मोबाइल नम्बर
ई–मेल आई.डी.

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C.,LTD
...Sikri, AGRA

गुलिस्तां वाहन पार्किंग हेतु अर्हताऐं एवं नियम शर्तें

1. ई–निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जायेगी। ई– निविदा मूल्य रुपये 2500/– एवं 18% जी0एस0टी0 सहित (कुल धनराशि रू 2950/–) का बैंक ड्राफ्ट "उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0" फतेहपुर सीकरी में देय की स्कैन कॉपी ई–टेण्डर के साथ अपलोड करना तथा ड्राफ्ट की मूल कॉपी गुलिस्तां पर्यटक कॉम्प्लैक्स कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
2. यदि निविदादाता स्वयं अथवा प्रोपराइटरशिप के नाम से निविदा अपलोड करता है तो उसे निम्न निविदादाता के अभिलेख अपलोड करने अनिवार्य होंगे–
    1. निविदादाता का पैनकार्ड,
    2. निविदादाता का आधार कार्ड,
    3. निविदादाता का जी0एस0टी0एन0 नम्बर,
    4. निविदादाता का शॉप एवं इस्टेबलिस्मेन्ट का पंजीकरण सर्टिफिकेट,
    5. निविदादाता का जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र,
    6. निविदादाता का हैसियत प्रमाण पत्र,
    7. निविदादाता का फोटो,
    8. निविदादाता का विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न।
    9. निविदादाता का पार्किंग संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
    10. निविदादाता का किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न किये जाने तथा निविदा में अपलोड किये गये सभी प्रपत्र सही होने का शपथ पत्र।

    पार्टनरशिप फर्म अथवा एल0एल0पी0 निविदादाताओं हेतु निम्न अभिलेख अपलोड
    करना अनिवार्य होगा–

    1. फर्म/एल0एल0पी0 की डीड,
    2. फर्म/एल0एल0पी0 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
    3. फर्म/एल0एल0पी0 का पैन नम्बर,
    4. फर्म/एल0एल0पी0 का जी0एस0टी0एन0 नम्बर,
    5. फर्म/एल0एल0पी0 का शॉप एवं इस्टेबलिस्मेन्ट का पंजीकरण सर्टिफिकेट,
    6. प्रत्येक साझीदार का पैन, फोटो, आधार कार्ड एवं चरित्र प्रमाण पत्र,
    7. फर्म/एल0एल0पी0 के विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न,
    8. किसी एक साझीदार को अधिकृत करते हुए अथॉरिटी लेटर,
    9. फर्म/एल0एल0पी0 नेटवर्थ रु0 50.00 लाख।

    नेटवर्थ की परिभाषा:– कैपिटल + रिजर्व एण्ड सप्लाई विगत वर्ष की सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट से (एक्सक्लूडिंग रिवेल्यूएशन रिजर्व)

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C.,LTD
...pur Sikri, AGRA

10. फर्म/एल0एल0पी0 का पार्किंग संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
11. फर्म/एल0एल0पी0 का किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न किये जाने तथा निविदा में अपलोड किये गये सभी प्रपत्र सही होने का शपथ पत्र।

कम्पनी वाली निविदादाताओं हेतु निम्न अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा:–

1. कम्पनी का एम0ओ0ए0 एवं ए0ओ0ए0
2. कम्पनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
3. कम्पनी का पैन कार्ड
4. कम्पनी का जी0एस0टी0एन0 नम्बर,
5. कम्पनी का पार्किंग संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
6. कम्पनी का किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न किये जाने तथा निविदा में अपलोड किये गये सभी प्रपत्र सही होने का शपथ पत्र।
7. कम्पनी का शॉप एवं इस्टेबलिस्टमेन्ट का पंजीकरण सर्टिफिकेट,
8. कम्पनी का वर्तमान में तैनात निदेशकों की सूची,
9. कम्पनी का किसी एक निदेशक को अधिकृत करते हुए अथॉरिटी लेटर,
10. कम्पनी का विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न,
11. कम्पनी का नेटवर्थ रु0 50.00 लाख
    नेटवर्थ की परिभाषा– कैपिटल + रिजर्व एण्ड सप्लाई विगत वर्ष की सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट से (एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व)

नोट–

- संविधान में परिवर्तन होने की स्थिति में तत्काल तीन दिवसों के भीतर उक्त की लिखित सूचना यू0पी0एस0टी0डी0सी0 लि0 को देना अनिवार्य होगा।
- प्रोपराइटरशिप अथवा एकल निविदादाता की स्थिति में यदि कोई शारीरिक अक्षमता अथवा मृत्यु होने की दशा में उसके लीगल उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी होगी, जिससे सम्बन्धित शपथ पत्र भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3. किसी भी प्रपत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। समस्त मांगे गये प्रपत्रों में लागू वैधता की अवधि दिनांक सहित स्पष्ट होना आवश्यक है। समस्त प्रमाण पत्रों का निविदा खोलने की तिथि को वैध होना आवश्यक है। साथ ही किसी निविदादाता के द्वारा यदि किसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है तो वह मान्य नहीं होगा, तथा उक्त निविदा पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। अपलोड एवं जमा किये गये प्रपत्रों की जाँच सम्बन्धित विभाग से कराये जाने पर यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो तत्काल निविदा निरस्त करते हुए समस्त धनराशि जब्त कर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. किसी भी सशर्त निविदा पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C., LTD
Fatehpur Sikri, AGRA

5. निविदा एक वर्ष अर्थात 365 दिन (लाईसेन्स स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष) की अवधि हेतु एक मुश्त धनराशि का उल्लेख निविदादाता को निविदा में करना अनिवार्य है।
6. निविदा का आरक्षित मूल्य रु0 1,55,00,000/- (एक करोड़ पचपन लाख मात्र) है एवं, समस्त कर अतिरिक्त देय होंगे यथा जी0एस0टी0 18 प्रतिशत एवं टी0सी0एस0 2 प्रतिशत है।
7. उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के प्रबन्ध तंत्र को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह एक अथवा समस्त निविदाओं को कोई कारण बतायें बिना पूर्ण अथवा आंशिक रुप से निरस्त कर दें।
8. जिस निविदादाता के पक्ष में लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा, उसके द्वारा निविदा के साथ धरोहर के रुप में जमा धनराशि रु0 10,00,000.00 (रु0 दस लाख) में से रु0 4,00,000.00 (रु0 चार लाख) को प्रतिभूति के रुप में परिवर्तित कर दिया जायेगा। प्रतिभूति की यह धनराशि लाईसेन्स की पूर्ण अवधि तक संतोषजनक ढंग से लाईसेन्स समाप्ति के उपरान्त लाईसेन्सी को वापस की जायेगी। इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। पार्किंग परिसर/निगम को लाईसेन्सी द्वारा पहुँचायी गयी किसी क्षति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हर्जाने एवं विलम्ब से भुगतान हेतु देय ब्याज की धनराशि को प्रतिभूति की धनराशि से वसूलने हेतु निगम प्रबन्ध तंत्र स्वतंत्र होगा एवं शेष रु0 5,00,000.00 +18% जी0एस0टी0 रु0 90,000.00+ 2%टी0सी0एस0 रु 10,000.00 (रु0 दस हजार) रु0 ये 6,00,000.00 (छः लाख मात्र) स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के सापेक्ष अन्तिम किस्त के भुगतान में समायोजित की जायेगी।
9. लाईसेंस स्वीकृत होने की दशा में लाईसेन्सी को आदेश प्राप्त होने की तिथि से लाईसेन्स की सम्पूर्ण धनराशि निम्नानुसार 9 किस्तों में निगम को भुगतान करनी अनिवार्य होगी। निम्नानुसार समस्त अग्रिम किस्तों की धनराशि के अग्रिम ड्राफ्ट/चैक ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व कार्यालय में जमा कराने होंगे।

अ– प्रथम किस्त स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का भुगतान लाईसेन्स का कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

ब– द्वितीय किस्त स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का भुगतान लाईसेन्स का कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से आगामी माह की अन्तिम तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

स– तृतीय किस्त स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का भुगतान आगामी माह की अन्तिम तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

द– चतुर्थ किस्त स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का भुगतान आगामी माह की अन्तिम तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C.,LTD
...ikri, AGRA

ङ– पांचवी किस्त स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का भुगतान आगामी माह की अन्तिम तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

च– छटवीं किस्त स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का भुगतान आगामी माह की अन्तिम तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

छ– सातवीं किस्त स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्यं धनराशि का भुगतान आगामी माह की अन्तिम तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

ज– आठवीं किस्त स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का भुगतान आगामी माह की अन्तिम तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

झ– नवीं किस्त स्वीकृत निविदा की कुल धनराशि के 05 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का भुगतान आगामी माह की अन्तिम तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

10. निविदा स्वीकृत की कुल धनराशि को नियम एवं शर्त संख्या– 9 में उल्लेखित समय के अन्दर जमा न करने पर स्वीकृत लाईसेन्स को निरस्त करते हुये समस्त भुगतान धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा बकाया धनराशि की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज/विलम्ब शुल्क के साथ करने का अधिकार निगम प्रबन्ध को होगा।

11. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी, उसे निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 06 कार्य दिवस के अन्दर अनिवार्य रुप से अनुबन्ध निष्पादित कर अनुबन्ध/डीड को उप महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय आगरा, मण्डल आगरा में पंजीकृत कराना होगा तथा अनुबन्ध पत्र पर निविदादाता का फोटो भी लगाया जायेगा। ऐसा न करने की दशा में लाईसेन्स निरस्त करते हुये जमा धरोहर धनराशि जब्त करने का अधिकार निगम प्रबन्ध को होगा। उक्त अनुबन्ध पर होने वाले समस्त व्ययों को निविदादाता/ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।

12. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित दिनांक व समय से केन्टीन एवं पार्किंग परिसर की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं अथवा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सुनिश्चित कराई जायेंगी। व्यवस्था समय से आरम्भ न करने पर व्यवस्था निगम प्रबन्धक गुलिस्तां टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स द्वारा स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से सुनिश्चित कराई जायेंगी एवं इस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय/क्षति की पूर्ति ठेकेदार से की जायेंगी एवं जमा समस्त धनराशि को जब्त किये जाने का अधिकार निगम प्रबन्ध तन्त्र को होगा। ऐसी स्थिति में निगम प्रबन्ध तंत्र पुनः निविदा द्वारा लाईसेंस आवंटित करने हेतु स्वंतत्र होगा।

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C., LTD
Fatehpur Sikri, AGRA

13. लाईसेन्सी द्वारा पार्किंग व्यवस्था व उसके विरूद्ध वसूली, मात्र पार्किंग परिसर तक ही सीमित होगी। वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खड़े किये जायेंगे, गुलिस्तां परिसर के अन्य स्थानों पर पार्किंग वर्जित होगी अर्थात लाईसेन्सी का अधिकृत कार्यक्षेत्र मात्र पार्किंग स्थल ही है।

14. पार्किंग परिसर के भीतर अथवा उससे लगी दीवार अथवा बाह्य परिसर में कोई भी स्टॉल, पीसीओ, ठेला, विक्रय केन्द्र, प्रचार व्यवस्था आदि बिना निगम प्रबंध तंत्र की पूर्व लिखित स्वीकृति के स्थापित नहीं की जायेंगी। इसका अनुपालन लाईसेन्सी अपने स्तर से सुनिश्चित करायेंगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की लिखित सूचना तत्काल निगम प्रबन्ध तंत्र को देंगे।

15. पार्किंग परिसर अथवा अन्यत्र लाइसेन्सी द्वारा कोई अनाधिकृत दुकान, शोरूम, बिक्री केन्द्र, स्टॉल, ठेला अथवा वेन्डर आदि को प्रोत्साहित अथवा सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा, न ही पार्किंग परिसर में अनावश्यक रूप से कन्वेसर, हॉकरों, भिखारियों आदि को घूमने–फिरने की छूट प्रदान की जायेगी।

16. यह कि लाईसेन्सी द्वारा सामान्यतः पार्किंग परिसर का संचालन प्रातः 6.00 बजे से सायं 8.00 बजे अथवा गुलिस्तां में आयोजित कार्यकमों के अनुसार निर्धारित समय अनुसार अथवा भविष्य में निर्धारित किये जाने वाले समय अनुसार ही पार्किंग परिसर में अपनी व्यवस्था की जायेगी।

17. यह कि निगम प्रबन्धतन्त्र पार्किंग एवं तत्सम्बन्धी कोई सूचना का प्रसारण पार्किंग परिसर अथवा अन्यत्र स्थापित, उद्घोषित कराने हेतु स्वतन्त्र होगा तथा तद्नुसार अनुपालन लाईसेन्सी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

18. वाहन पार्किंग परिसर पर स्थित स्टॉल्स/किओस्क्स/कक्ष एवं टॉयलेट आदि को किसी भी कार्यालय अथवा वाणिज्यक प्रयोग हेतु किसी व्यक्ति/संस्था को आवंटित करने हेतु निगम प्रबन्ध तंत्र स्वतंत्र होगा।

19. पार्किंग परिसर में पर्यटक सूचना, पर्यटकों को निगम की इकाईयों, कंडक्टेड टूअर तथा स्थानीय सुविधाओं हेतु आरक्षण प्रदान करने अथवा तत्सम्बन्धी सूचना केन्द्र/कार्यालय स्थापित करने हेतु निगम प्रबन्ध तंत्र स्वतंत्र होगा।

20. पार्किंग परिसर एवं केन्टीन में व्यवस्थित कार्यप्रणाली हेतु लाईसेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था, स्टाफ आदि लाईसेन्सी को अपने स्तर से अपने खर्चे पर स्वयं सुनिश्चित करनी होगी।

21. गुलिस्तां स्थित पार्किंग परिसर, चैक पोस्ट आदि से सम्बन्धित कार्य कलापों का निरीक्षण तथा शर्तों के अनुसार नियंत्रण रखने में निगम प्रबन्ध तंत्र चेकिंग करने हेतु स्वतंत्र होगा।

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C.,LTD
Fatehpur Sikri, AGRA

22. यह कि पार्किंग परिसर के वाहनों एवं उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। वाहन के गुम होने, बदले जाने अथवा उसकी सम्पत्ति को कोई हानि/क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति लाईसेन्सी द्वारा की जायेगी।

23. विशेष परिस्थितियों में प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकते हैं। उक्तानुसार लाईसेन्स समाप्ति की दशा में लाईसेन्सी को क्षतिपूर्ति का अधिकार नही होगा। परन्तु ऐसी दशा में लाईसेन्सी को अवशेष की आनुपातिक धनराशि निगम द्वारा वापस की जायेगी। लाईसेन्सी को पार्किंग का संचालन अनुबन्ध में उल्लेखित पूर्ण अवधि में करना होगा। वह अपने किसी निजी अथवा अन्य कारणों का हवाला देकर संचालन बीच में बन्द नहीं कर सकता है। यदि लाईसेन्सी द्वारा संचालन बीच में बन्द किया जाता है तो उसे अनुबन्ध के अनुसार ठेके की समस्त धनराशि जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने पर अवशेष धनराशि की वसूली धरोहर धनराशि एवं भू–राजस्व के माध्यम से की जायेगी।

24. यह कि विशेष परिस्थितियों में अथवा जनहित में पार्किंग परिसर/क्षेत्र में यथावांछित परिवर्तन करने का अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा।

25. भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इस पार्किंग परिसर के सम्बन्ध में कोई भी आदेश/निर्देश पारित किये जाते हैं, जिससे यह पार्किंग स्थल प्रभावित हो, तो ऐसी दशा में माननीय न्यायालय/शासन के आदेशानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी, जो ठेकेदार को मान्य होगी व उस पर बाध्य होंगी और इस सम्बन्ध में ठेकेदार किसी भी प्रकार का हर्जाना उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 से नहीं पा सकेगा।

26. लाइसेन्सी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन निर्धारित स्थल पर तथा इस प्रकार खड़े हो कि यातायात के संचालन में कोई अवरोध न हो या ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित न हो, इस सम्बन्ध में उसे पुलिस/प्रशासन/निगम प्रबन्ध तंत्र के निर्देशों का पालन करना होगा।

27. लाइसेन्सी अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी वाहन मालिक के साथ तथा पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार अथवा झगड़ा फसाद आदि नहीं करेगें इसका पूर्ण दायित्व लाइसेन्सी का ही होगा।

28. शर्तो के बारे में विवाद होने पर प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य पर्यटन निगम लि0 को आर्बीट्रेशन में विवाद भेजा जायेगा, उनका निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा और उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C.,LTD
Fatehpur Sikri, AGRA

29. लाइसेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/सबलेटिंग नहीं करेगा। ऐसा करने की दशा में लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

30. लाइसेन्सी प्रत्येक वाहन के लिये सीरियल नम्बर सहित 3 प्रतियों में टिकट/कूपन रखेगा, जिसमें से एक वाहन पर चिपकायेगा, दूसरा वाहन मालिक को दिया जायेगा तथा तीसरा लाइसेन्सी द्वारा रखा जायेगा। इन टिकट/कूपन पर वाहन का प्रकार नम्बर, दिनांक, समय व चार्ज की गयी धनराशि का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में होगा। इस हेतु लाइसेन्सी द्वारा एक रजिस्टर भी रखा जायेगा जिसमें वाहन संख्या एवं टिकट संख्या आदि का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा।

31. पार्किंग एवं केन्टीन परिसर की प्रकाश/विद्युत व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था एवं समुचित रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व लाइसेन्सी का होगा तथा इस सम्बन्ध में होने वाले समस्त व्यय का वहन लाईसेन्सी द्वारा स्वयं किया जायेगा। पार्किंग परिसर पर किसी भी प्रकार की टूट–फूट होने पर लाईसेन्सी द्वारा उसकी तत्काल मरम्मत करायी जायेगी। निरीक्षण के दौरान यदि पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार की गंदगी अथवा टूट–फूट पायी जाती है तो लाईसेन्सी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा उसकी क्षतिपूर्ति धरोहर धनराशि से की जायेगी। लाईसेन्सी सुरक्षा हेतु 02 गार्ड स्वयं के व्यय पर तैनात करेगा।

32. केन्टीन एवं वाहन पार्किंग लाईसेन्स संचालन के सम्बन्ध में नियमानुसार जी0एस0टी0, टी0सी0एस0 अथवा अन्य कर यथा– नगर पालिका परिषद, फतेहपुर सीकरी/आगरा द्वारा पार्किंग पर लगाये जाने वाला गृहकर, जलकल आदि अन्य देय कर होगा तो उसका भुगतान समय से लाइसेंसी को करना अनिवार्य होगा।

33. गुलिस्तां वाहन पार्किंग परिसर पर विद्युत एवं जल आपूर्ति हेतु सबमीटर की व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था लाईसेन्सी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में होने वाले समस्त, पानी, विद्युत उपभोग एवं सफाई व्यवस्था के विरुद्ध व्ययों को लाईसेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

34. पर्यटन निगम के अथवा उसके द्वारा अधिकृत वाहनों पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। तथा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित सी0एन0जी0 बसें पार्किंग से यदि संचालित होंगी तथा उनके द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होगा। गुलिस्तां पर्यटक कॉम्पलैक्स आने वाले पर्यटकों तथा शहर जाने वाले वाहनों लाईसेन्सी द्वारा अनावश्यक रुप से नहीं रोका जायेगा। मात्र स्मारक जाने वाले पर्यटकों के वाहन ही पार्किंग में खड़े किये जायेंगे।

35. गुलिस्तां पर्यटक कॉम्प्लैक्स में कार्यरत कर्मचारियों अथवा अधिकृत विक्रय केन्द्रों अथवा आमंत्रित व्यक्तियों हेतु पार्किंग दरें निगम प्रबन्ध तंत्र द्वारा पृथक से समयानुसार निर्धारित की जायेंगी एवं तदानुसार ही लाईसेन्सी द्वारा दरें चार्ज की जायेंगी।

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C.,LTD
Fatehpur Sikri, AGRA

36. यह कि लाइसेन्सी द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों का नियोजन लाईसेन्स के संचालन हेतु किया जायेगा जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो। इस सम्बन्ध में लाईसेन्सी को उसके द्वारा नियोजित कर्मचारियों से इस आशय का शपथपत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा कि वे कभी भी किसी आपराधिक गतिविधियों एवं दुराचरण में लिप्त नहीं रहे हैं। लाईसेन्स हेतु नियोजित कर्मचारियों की सूची, कर्मचारियों के पूर्ण नाम एवं पते के सहित निगम को उपलब्ध कराना होगा। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने पर निगम को तत्काल सूचित किया जायेगा, नियोजित कर्मचारियों को लाईसेन्सी द्वारा नवीनतम फोटोग्राफ के साथ परिचयपत्र उपलब्ध कराया जायेगा जो सदैव कर्मचारी अपने पास रखेगा तथा कार पार्किंग परिसर/गुलिस्तां में ड्यूटी के समय बैज लगाने के स्थान पर लगाकर रखेगा। समस्त कर्मचारी निर्धारित वर्दी में रहेगें।

37. यह कि वाहन पार्किंग परिसर पर लाईसेन्सी द्वारा उद्घोषणा हेतु स्वयं के व्यय पर माईक स्पीकर लगवाये जाने होंगे।

38. यह कि लाइसेन्सी को निम्न दरों को अंकित करते हुये टिकट/कूपन की व्यवस्था करनी होगी, तद्नुसार ही धनराशि वाहन मालिकों से वसूल की जायेगीः–

क्रमांक	वाहन	चार्ज की दरें
1	साईकिल	रूपये 05.00
2	रिक्शा/स्कूटर/मोटर साइकिल/मौपेड	रूपये 20.00
3	ऑटो रिक्शा/हथठेला/खड़खड़िया/रेहड़ी	रूपये 20.00
4	ऊंट गाड़ी/तांगा बग्घी	रूपये 15.00
5	कार/टैक्सी/वैन/मैटाडोर/टाटा सूमो	रूपये 100.00
6	मिनी कोच /टैम्पो ट्रैवलर	रूपये 200.00
7	लार्ज कोच/ट्रक	रूपये 250.00 प्रति

उपरोक्त दरों में जी0एस0टी0 सम्मलित है तथा उक्त दरें चार घंटे हेतु मान्य होंगी। लाइसेन्सी द्वारा उक्त निर्धारित दरों से अधिक दरें चार्ज किये जाने की शिकायत की पुष्टि होने पर अन्य दण्डात्मक कार्यवाही के साथ निर्धारित दर की धनराशि के दस गुना अर्थदण्ड वसूलने, लाइसेन्स को निरस्त करने तथा जमा समस्त धनराशि को जब्त करने की कार्यवाही हेतु निगम प्रबन्ध तंत्र स्वतंत्र होगा।

39. यह कि लाइसेन्सी द्वारा पार्किंग परिसर पर कोई अवैधानिक/अनैतिक गतिविधियों का संचालन/संरक्षण नहीं किया जायेगा।

40. पार्किंग परिसर पर अवांछनीय तत्वों के प्रवेश पर लाइसेन्सी समुचित नियन्त्रण रखेगा एवं इसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C.,LTD
Fatehpur Sikri, AGRA

41. लाइसेन्सी गुलिस्तां वाहन पार्किंग में वाहन स्वामी को दी जाने वाली रसीद/कूपन/पर्ची पर आगरा सर्किट की इकाईयों के प्रचार प्रसार से सम्बन्धित सामग्री प्रिन्ट करायेगा, जिसका खर्चा स्वयं लाइसेन्सी द्वारा वहन करना होगा।

42. विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा के दृष्टिगत गुलिस्तां वाहन पार्किंग परिसर के सम्बन्ध में पुलिस, प्रशासन एवं निगम प्रबन्धतंत्र के निर्देशों का अनुपालन लाइसेन्सी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में लाइसेन्सी किसी भी प्रकार की छूट/हर्जाना/क्षतिपूर्ति उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम से नहीं पा सकेगा।

43. लाइसेन्सी द्वारा उपरोक्त समस्त नियम/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक नियम एवं शर्तों का लाइसेन्सी द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अथवा प्रासंगिक किसी कानून का उल्लंघन किये जाने पर अथवा शासकीय तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परोक्ष तथा अपरोक्ष रुप से अनुपालन न किये जाने पर अथवा संतोषजनक सेवा व व्यवस्था प्रदान न करने की स्थिति में जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुये लाइसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा ऐसी दशा में लाइसेन्सी को कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा देय नहीं होगा।

44. लाइसेन्स की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर अथवा अनुबन्ध के बिन्दु–9, 10, 11, 23, 29, 43 के अनुसार लाईसेन्स समाप्त होने पर लाईसेन्सी का यह दायित्व होगा कि पार्किंग स्थल का शन्तिपूर्ण कब्जा निगम द्वारा निर्धारित समय अवधि के अन्दर निगम को हस्तगत करने हेतु बाध्य होगा। ऐसा न करने की दशा में निगम प्रबन्ध को यह स्वतंत्रता होगी कि वह विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार पार्किंग स्थल का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।

45. लाईसेन्सी पर किसी प्रकार का बकाया रह जाता है तो उसकी वसूली भू–राजस्व की भांति की जायेगी। इस पर जो भी अतिरिक्त व्यय भार होगा वह लाइसेन्सी को वहन करना होगा।

46. लाइसेन्सी द्वारा पार्किंग लाइसेन्स की भुगतान की जाने वाली राशि पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत टी.सी.एस. एवं जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार पृथक से देय होगी।

47. एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त निविदा डालने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की प्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। लाईसेन्सी से किसी भी प्रकार का पत्राचार–सूचना आदि डाक द्वारा ही स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर डाक द्वारा किया जायेगा। अतः प्रपत्रों पर डाक पता सम्पूर्ण एवं स्पष्ट अंकित करना होगा।

48. विशेष परिस्थिति अथवा जनहित में वाहनों से ली जाने वाली दरों में परिवर्तन करने का अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक को होगा।

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C.,LTD
...pur Sikri, AGRA

49. यह कि पार्किंग परिसर में निगम मुख्यालय के पत्र सं. 2876/संचालन–4–3/2018 दिनांक 29.12.2018 द्वारा गाइडों के बैठने का स्थान निर्धारित किया गया है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा।

50. यदि लाईसेंसी द्वारा ठेके का संचालन वर्ष भर संतोषजनक एवं सुचारु रुप से किया जाता है एवं निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुये धनराशि समय से जमा कर दी जाती है तो आगामी वर्ष हेतु वार्षिक आधार पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अगले एक वर्ष के लिये ठेका अवधि में वृद्धि की जा सकती है, जो न्यूनतम 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ होगी।

51. निविदादाता को केवल वाहन पार्किंग एवं केन्टीन संचालन का बतौर लाईसेंसी अधिकार दिया जायेगा, इससे द्वितीय पक्ष को वाहन पार्किंग संचालन में कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं होगा। पार्किंग स्थल पर निविदादाता निगम द्वारा चलाये जा रहे स्टॉल, टॉयलेट आदि के संचालन में भविष्य में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा ना ही कोई हस्तक्षेप करेगा।

52. उक्त के अतिरिक्त यदि कोई बिन्दू जोकि नियम व शर्तों में उल्लिखित नहीं है, संज्ञान में आता है, और उसका पालन करना आवश्यक है, तो ऐसी दशा में लाइसेन्सी को उस बिन्दू से लिखित रुप से अवगत कराया जायेगा तथा उसे अनुबन्ध की नियम व शर्तों में समायोजित समझा जायेगा।

53. लाइसेंसी को केन्टीन संचालन हेतु नियमानुसार फूड लाइसेंस अपने स्तर से लेना होगा तथा केन्टीन में पर्यटकों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री स्तरीय स्वच्छ तथा उचित दरों पर उपलब्ध करानी होगी।

54. आवंटित ठेके की अवधि में किसी भी कारणवश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) भारत सरकार द्वारा स्मारक बन्द किये जाने की स्थिति में बन्दी की अवधि की धनराशि आनुपातिक रूप में माफ कर दी जायेगी।

55. कोई भी व्यक्ति, फर्म, जिसका निगम की किसी भी पार्किगं संवंधित किसी भी न्यायालय में कोई भी बाद प्रचलित है। तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।

56. यदि किसी फर्म/व्यक्ति का टेण्डर जमा करने की अन्तिम तिथि तक निगम का कोई अवशेष है तो उसको टेण्डर प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और यदि वह भाग लेता है तो उसकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

57. निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता को स्वीकृत धनराशि का 5% परफॉरमेंस सीक्योरिटी के रूप में जमा करना होगा जो निविदा समाप्ति के उपरान्त निविदादाता को वापस किया जायेगा।

58. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र आगरा होगा।

Manager
Rahi Gulistan Tourist Complex
U.P.S.T.D.C.,LTD
Fatehpur Sikri, AGRA